न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 36/2017 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– फतेहपुर, चौहान मार्केट, फतेहपुर शेखावाटी, जिला – सीकर, राज.
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स बगड़िया टायर्स प्रो. अनिल कुमार बगड़िया
   पताः— पंचायत समिति भवन, सीकर रोड़, फतेहपुर शेखावाटी, जिला– सीकर (राज.)
2. विधाधर बगड़िया पुत्र गणेश राम बगड़िया
   पताः— गांव पोस्ट– बालोद बड़ी, तहसील– फतेहपुर शेखावाटी, जिला– सीकर (राज.)
3. जयसिंह शिवरन पुत्र शिव कुमार शिवरन
   पताः— वार्ड नं. 21, पंडित वासुदेव, मोचीवाला मार्ग, तहसील– फतेहपुर शेखावाटी, जिला– सीकर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांकः 19 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स बगड़िया टायर्स प्रो. अनिल कुमार बगड़िया, विधाधर बगड़िया, जयसिंह शिवरन** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में Equitable mortgage of residential land in the name of Mr. Vidhyadhar Bagaria situated at Ward No. 26, Luharo Ka Mohalla, Fatehpur Shekhawati, Dist. Sikar, को बंधक रखकर **9,50,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **नौ लाख पच्चास हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **24.07.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **24.07.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थीगण मैसर्स बगड़िया टायर्स प्रो. अनिल कुमार बगड़िया, विधाधर बगड़िया, जयसिंह शिवरन** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक Equitable mortgage of residential land in the name of Mr. Vidhyadhar Bagaria situated at Ward No. 26, Luharo Ka Mohalla, Fatehpur Shekhawati, Dist. Sikar, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर